

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3824

दिनांक 22.12.2015/01 पौष, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

गैर-कानूनी आग्नेययास्त्र

†3824. श्री कमल नाथ :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-कानूनी आग्नेयास्त्रों के उपयोग के बारे में चिंतित है और देश में लाइसेंस रहित बंदूकों के उपयोग से की गई हत्याओं के बारे में चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैर-कानूनी आग्नेयास्त्रों को बंद करने के लिए कोई कदम उठाए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बंद किए गए गैर-कानूनी आग्नेयास्त्रों की संख्या कितनी है और दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे लाइसेंस रहित/गैर-कानूनी विनिर्माण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम और ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में राज्यों और पुलिस विभागों को जारी किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग): जी, हां। देश में वर्ष 2014 में कुल 55,453 हथियारों को जब्त किया गया था। गत तीन वर्षों 2012, 2013 और 2014 के दौरान आयुध अधिनियम के तहत सूचित मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने इस संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट जारी नहीं की है।

(ड.) से (छ): मंत्रालय ने हथियारों के विनिर्माण के लिए कोई हथियार लाइसेंस जारी नहीं किया है। तथापि, हथियारों की बिक्री राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। देश में हथियारों के विस्तार को रोकने के लिए हथियारों के लाइसेंस के संबंध में राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएएल) आरंभ किया गया है जिसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंस प्राधिकरणों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2012-2014 के दौरान आयुध अधिनियम, 1959 के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले(सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति(पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012						2013						2014					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आन्ध्र प्रदेश	301	305	88	549	555	46	280	215	35	374	380	65	121	88	14	264	166	39
2	अरुणाचल प्रदेश	11	12	4	14	12	4	15	9	2	10	7	2	26	14	1	29	31	1
3	असम	539	320	15	575	232	31	630	281	14	563	347	22	473	290	32	1166	378	33
4	बिहार	1813	2069	497	2479	2843	681	1614	1519	534	2306	2397	817	1764	1648	363	2433	1978	488
5	छत्तीसगढ़	883	884	193	914	914	236	954	952	190	978	977	257	782	778	418	801	1479	426
6	गोवा	12	1	1	20	2	1	7	3	0	12	5	0	2	4	0	0	6	0
7	गुजरात	512	464	11	713	695	13	417	410	25	583	583	29	586	426	18	819	642	22
8	हरियाणा	1402	1449	515	1495	1559	531	1446	1436	439	1539	1546	477	1564	1523	373	1715	1661	373
9	हिमाचल प्रदेश	15	15	1	25	25	1	21	16	1	33	36	1	18	13	1	32	26	1
10	जम्मू और कश्मीर	186	148	5	310	308	5	173	103	9	207	207	6	181	79	5	161	150	8
11	झारखंड	570	519	275	1100	1055	459	515	484	264	1039	1100	434	459	442	208	639	801	238
12	कर्नाटक	124	115	7	219	223	11	116	98	6	187	171	9	107	105	4	260	223	5
13	केरल	293	286	36	536	526	77	259	219	17	407	410	32	273	236	18	398	350	43
14	मध्य प्रदेश	10827	10811	3940	10970	10967	3869	12798	12796	3600	13026	13042	3700	11595	11592	4473	12536	12536	4641
15	महाराष्ट्र	1166	1117	41	1565	1521	60	1000	968	36	1408	1275	47	1412	1270	38	1888	1766	45
16	मणिपुर	15	8	4	18	8	9	17	1	2	22	1	3	11	12	2	10	12	2
17	मेघालय	20	10	0	26	14	0	26	13	0	27	13	0	59	17	0	63	33	0
18	मिजोरम	37	27	31	38	33	29	37	36	11	61	29	19	20	27	22	30	46	26
19	नागालैंड	101	88	85	153	166	105	186	132	84	267	122	62	222	170	92	251	197	104
20	ओडिशा	602	514	14	1190	1124	26	719	604	20	1250	1196	31	533	471	29	721	779	45
21	पंजाब	888	687	458	971	842	488	647	701	499	742	751	515	513	483	401	573	593	419
22	राजस्थान	4992	4944	3874	5172	5173	4098	5304	5248	4163	5501	5489	4456	5232	5161	4597	5536	5536	4741
23	सिक्किम	1	1	2	3	5	2	2	2	2	2	2	6	2	0	2	3	0	2
24	तमिलनाडु	180	122	39	274	162	66	193	162	35	285	273	62	275	224	40	447	416	74
25	तेलंगाना													105	137	4	226	209	9
26	त्रिपुरा	15	16	1	35	34	2	15	11	1	23	31	1	4	9	1	6	23	4
27	उत्तर प्रदेश	26396	26203	21035	26556	26391	21136	22822	22663	18727	22983	22837	18752	25097	24990	17359	25322	25227	17436
28	उत्तराखंड	503	497	1517	508	524	1508	587	557	792	600	572	654	636	645	597	762	752	645
29	पश्चिम बंगाल	1722	1971	25	2911	2172	29	2531	1993	32	3186	3139	48	2360	2564	16	4660	3374	19
	(कुल)राज्य	54126	53603	32714	59339	58085	33523	53331	51632	29540	57621	56938	30507	54432	53418	29128	61751	59390	29889
30	अं. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	0	0	2	0	0	6
31	चंडीगढ़	18	21	5	17	26	6	16	14	12	22	19	12	17	14	14	18	14	15
32	दा. और न. हवेली	1	0	0	2	0	0	1	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
33	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	1017	914	1442	1194	1093	1660	921	872	1079	1086	1071	1372	753	686	687	838	814	820
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	214	214	18	232	232	21	91	91	27	241	241	30	53	55	3	63	55	4
	(कुल) संघ राज्य क्षेत्र	1250	1149	1465	1445	1351	1687	1031	980	1118	1356	1339	1414	823	756	706	919	884	845
	(कुल) अखिल भारत	55376	54752	34179	60784	59436	35210	54362	52612	30658	58977	58277	31921	55255	54174	29834	62670	60274	30734

